

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद गोण्डा में बी०पी०सी०एल० द्वारा गोण्डा-बलरामपुर मार्ग एस०एच०-1ए के कि०मी० 167 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-415, 416 ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.214959 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन विभाग/राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जो भी प्रतिकर/एन०पी०वी०/सी०ए० की धनराशि नियमानुसार निर्धारित किया जायेगा। उनसे प्रयोक्ता एजेंसी/फर्म द्वारा जमा कर दिया जायेगा। इसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी/फर्म वचनबद्ध है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ०प्र०)

आपका



(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०,
गोण्डा रिटेल टैरीटोरी।

क्षितिज माहेश्वरी / Kshitij Maheshwari
प्रादेशिक प्रबन्धक (खुदरा) गोण्डा / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद गोण्डा में बी०पी०सी०एल० द्वारा गोण्डा-बलरामपुर मार्ग एस०एच०-1ए के कि०मी० 167 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-415, 416 ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.214959 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है। जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-26/2024-25 दिनांक 23.09.2024 को इजरा किया गया। जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेंसी/फर्म द्वारा रुपया 1,50,000/-मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-216/33 दिनांक 23.09.2024 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।

(पंकज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
गोण्डा (उ०प्र०)

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना

जनपद गोण्डा में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा-बलरामपुर रोड, (एस0एच0-1ए) के कि0मी0 सं0-167, (चैनेज संख्या-166.925) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं0-415 व 416 ग्राम करमडीह बेलवा, तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित किए गये रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग में आवागमन में प्रभावित 0.214959 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना:-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के क्रम में भारत सरकार की पत्र सं0-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-एफ0एन0-5-3/2007(एफ0सी0 डिवीजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या-एफ0एन0-5-3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना

एन0पी0वी0 की गणना:- $=0.214959 \times 9,57,780 = 205883.43$

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 2021 से 2024 तक:-

$=205883.43 \times 4 = 823533.72$

4 वर्ष का ब्याज:-

$= \frac{823533.72 \times 4 \times 12}{100} = 395296.19$

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0:-

$=823533.72 + 395296.19 = 1218829.91$
 $=1218830.00$

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग,
गोण्डा (उ0प्र0)

प्रदश वन विभाग देवी पाटन वृत्त गोण्डा वन प्रभाग-गोण्डा

अपराध वन संरक्षण अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 26/24-25 दिनांक 23-03-2024
 1980 वन अधिनियम 1927
 परिक्षेत्र रेंज की धारा 33 का उल्लंघन
 कुआना रेंज

1. नाम/पिता का नाम और निवास स्थान (1) अब्दुल हफीज खान पुत्र मो० मुनीर
 प्रथम सूचनो रिपोर्ट
 प्र० व० १० महेदम की सेवा
 मेसादर सूचना अधिनियम।
 (2) सराफत उल्ला पुत्र रहमत उल्ला नि०
 पिरवर नारा, पिन्दौरा बार्, खरगपुर गोण्डा

2. साक्षी का नाम (1) श्री रुद्र प्रताप सिंह प्र० व० १० कुआना रेंज
 (2) " राजेश मिश्र वन रेंज
 (3) " शुक्देव प्रताप मिश्र वन रेंज

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बी०पी० सी०एल
 द्वारा गोण्डा-वल्लभपुर मार्ग रुस्. एन्. -1 ए के कि०मी० 167
 के पास दाहिनी पट्टी पर गाड़ों सं० ५15, ५16 द्वारा कर्मचारी वेल्ल
 तल्ली व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल
 से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित ०.21.49.59 हे०
 संरक्षित वन भूमि के विना हट्ट पालने के और वानिजी प्रयोग की
 अनुमति के सम्बन्ध में।

4. मूल्य
 श्री राम जिभावन सिंह थ० ५०
 केस की ऊँचाई जॉय मापन
 आदिश्री प्रेषित करें।
 N 27° 19' 25.8"
 E 82° 02' 43.0"

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध
 में विशेष कथन विभागीय जॉय

महेदम, उत्तर दिनांक 23-03-2024 को सामने लगभग 12 कि०मी० पर मार्ग
 त्रिकोण के अनुसार मार्ग कर्मचारी वेल्ल तल्ली व जिला गोण्डा के
 अन्तर्गत गोण्डा-वल्लभपुर मार्ग रुस्. एन्. -1 ए के कि०मी० 167 के दाहिनी
 पट्टी पर पट्टी की धारा 33 के अन्तर्गत संरक्षित
 6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख
 धर्म पर 0.21.49.59 हे० विना अनुमति प्राप्त किए और वानिजी प्रयोग
 किए जाने पर 12 दिनांक में पता चला की बी पी सी एल रिटेल
 आउटलेट के लगभग 12 कि०मी० पर अब्दुल हफीज खान पुत्र मो० मुनीर
 मकसूद खान निवासी उपरोक्त मार्ग द्वारा वन सड़ने के विषय 1980 व
 1927 की धारा-33 का उल्लंघन किया गया है।
 उत्तर रिपोर्ट की जाँच की सेवा में सूचना अधिनियम।
 (समाप्त)

हस्ताक्षर प्रमाणित
 प्रभागीय वनाधिकारी
 गोण्डा वन प्रभाग
 गोण्डा (उ०प्र०)

फारेस्ट फार्म सं०-ई-3

बुक सं० 216

S.D.O.
क्रम संख्या 33

वन विभाग-देवीपाटन वृत्त, गोण्डा, उत्तर प्रदेश

.....लुवावा रेखा.....वन प्रभाग.....गोण्डा.....2024

श्री/मे०.....अवधुल चौधरी पुत्र श्री गुरुजी 2 अंश 50' दक्षिण से
नि० गामक 22 डी हेक्टर
धनराशि (अंको में) रु०.....150000=00

धनराशि (शब्दों में) रु०.....22 अंश 50' दक्षिण से 22 अंश 50' दक्षिण से

बावत.....रेखा रेखा सं० 216 के प्रतिपाद धनराशि
वस 2024/25

सधन्यवाद प्राप्त किया।

दिनांक 23-9-2024

हस्ताक्षर प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ०प्र०)

श्री ० वन अधिकारी
वन अधिकारी

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद गोण्डा में गोण्डा-बलरामपुर मार्ग एस0एच0-1ए के कि0मी0 167 (चैनेज संख्या-166.925) के मध्य बायीं पट्टी पर गाटा संख्या-415 व 416 पर स्थित ग्राम कर्मडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा (उ0प्र0) में प्रस्तावित बी0पी0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	बलरामपुर
	(3) वन प्रभाग	गोण्डा
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में0)	0.214959
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.3
	(7) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में आर0एल0एफ0 आर0एल0-2 मी0 पर परगणना और एक आर0एल0-4 मी0 पर संलग्न की जाय	शून्य
	(8) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मंडल रिजर्व, बाघ, रिजर्व हाथी कोरी डोर आदि का भाग है। यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय।	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण -पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	हाँ
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है/नहीं/यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है।	उल्लंघन हुआ है, सूचना संलग्न है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर	कुआना रेंज ढोगही बीट क0सं0-6

10

	क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	-
	(3) रोपित की जान वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	7,37,218 (सात लाख सैंतीस हजार दो सौ अठ्ठारह रुपये मात्र)
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	क्षेत्र उपयुक्त है। प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्ता कालम-7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4448.00 वर्गमी0 (444800.00 हे0)
	(2) जिले का वन क्षेत्र	11702.233 हे0
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	32 मामले (145.3042 हे0)
	(4) 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	93.910 हे0 (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	39.442 हे0
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी	-
	(क) वन भूमि पर	42.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	36.730 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परियोजना महत्वपूर्ण है जनता के हित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा
गोण्डा (उ0प्र0)

बी०पी०सी०एल० लखनऊ द्वारा जनपद गोण्डा में गोण्डा-बलरामपुर मार्ग एस०एच०-1ए के कि०मी०-167 (चैनेज सं०-168. 925) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा सं०-415 व 416 ग्राम करमडीह बेलवा तहसील व जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आवागमन में कुल 0.214959 हे० संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष कुआना रेंज के ढोगही क०स०-6 के वन ब्लॉक में वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित:-

रेन्ज का नाम	- कुआना रेंज
रोपण क्षेत्र का नाम	- ढोगही क०स०-6 (इटियाथोक)
क्षेत्रफल	- $0.214959 \times 2 = 0.429918$ अर्थात् 0.43 हे०
श्रमिक दिवस	- 230 प्रति मानव दिवस
भूमि का प्रकार	- सामान्य
रोपित किए जाने वाले	- 430
कुल पौधों की सं०	

प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य

क०स०	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	0.43	48.71	20.94
2	रोपण क्षेत्र की सफाई सघन क्षेत्र/घनी झाड़ी कटान	0.43	356.33	153.22
3	गड्ढों का पक्वितबंधन	430	0.31	133.30
4	गड्ढों का खुदान 0.60 X 0.60 X 0.60	430	17.40	7482.00
5	आर०सी०सी० खम्भा का मूल्य	105	440.00	46200.00
6	काटेदार तार का मूल्य	0.60	84892.50	50935.00
7	अन्य व्यय	L.S.	2000.00	2000.00
	योग-			1,06,927.46

द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य

क०स०	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	गड्ढों का भरण	430	1.04	447.20
2	गड्ढों में कीटनाशक दवा मिलाने का मूल्य	430	0.13	55.90
3	गड्ढों में मृदा सुधारक/गोबर खाद का प्रयोग	430	9.92	4265.60
4	पौध कीमत 8 से 12 फीट तक ऊँची पौध 3 प्रतिशत अतिरिक्त	443	70.00	31010.00
5	पौध दुलान	443	14.40	7708.20
6	पौध का स्थानीय दुलान	430	5.91	2541.30
7	पौध रोपण थाला बनवायी व तत्काल सिंचाई सहित	430	4.87	2094.10
8	निराई गुड़ाई व मलचिग कार्य 2 बार	860	1.12	963.20
9	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 9 बार	3870	2.88	11145.60
10	आर०सी०सी० खम्बों की ग्राउन्डिंग 100 अदद	105	196.00	20580.00
11	खम्बों का स्थानीय दुलान	105	3.28	344.40
12	तार की खिचाई	1050 मीटर	0.85	892.50
13	रासायनिक उर्वरक का मूल्य	0.43	600.00	258.00
14	सुरक्षा हेतु श्रमिक	30	230.00	6900.00
15	वृक्षारोपण बोर्ड 1 अदद	1	3000.00	3000.00
16	अन्य व्यय	L.S.	2000.00	2000.00
	योग-			94,206.00

तृतीय चरण प्रथम अनुरक्षण कार्य

क०स०	कार्यमद	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	सिंचाई कार्य अप्रैल से मार्च तक 12 बार	5160	2.88	14860.80
2	निराई गुड़ाई 3 बार	1290	1.12	1444.80
3	रासायनिक खाद एवं उर्वरक	430	3.00	1290.00
4	सुरक्षा हेतु श्रमिक	73	230.00	16790.00
5	अन्य व्यय	L.S.	2000.00	2000.00
	योग			36,384.80

योग		सारांश		26,702.00
क्रम सं०	चरण	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	10% महंगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धनराशि (कालम 3×4)
1	2	3	4	5
1.	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य	106927.46	1	106927.46
2.	वृक्षारोपण कार्य द्वितीय चरण	94,206.00	1.1	103626.60
3.	तृतीय चरण प्रथम अनुरक्षण	36,384.80	1.21	44025.61
4.	चतुर्थ चरण द्वितीय अनुरक्षण	26,702.00	1.331	35540.36
5.	पांचवा चरण तृतीय अनुरक्षण	26,702.00	1.4641	39094.39
6.	छठवा चरण चतुर्थ अनुरक्षण	26,702.00	1.6105	43003.57
7.	सातवा चरण पांचवा अनुरक्षण	26,702.00	1.7716	47305.26
8.	आठवां चरण छठा अनुरक्षण	26,702.00	1.9488	52036.85
9.	नवां चरण सातवा अनुरक्षण	26,702.00	2.1437	57241.07
10.	दसवां चरण आठवां अनुरक्षण	26,702.00	2.3581	62965.98
11.	ग्यारहवां चरण नवां अनुरक्षण	26,702.00	2.5939	69262.31
12.	बारहवां चरण दसवां अनुरक्षण	26,702.00	2.8533	76188.81
	कुल योग			7,37,218.27
	अर्थात्			7,37,218.00

कुल योग- सात लाख सैतीस हजार दो सौ अट्ठारह रुपये मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ०प्र०)

(११)

एन०पी०वी०मूल्य का आकलन

प्रभावित वन भूमि (हे०में)	भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक-5-3/2011-एफ०सी० (बी०ओ०एल०-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार दर	भूमि का मूल्य
0.214959	भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुसार खुले वन के लिए ईकोक्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से आंकलित	0.214959 हे० $\times 9,57,780 = 2,05,884.00$ (रु० दो लाख पाँच हजार आठ सौ चौरासी रुपये मात्र)

नोट:- उपरोक्त दरें इस कार्यालय में उपलब्ध भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुसार आंकलित हैं।


प्रभाति इनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग
गोण्डा (उ०प्र०)